न्यायालय–अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण,
<u>जयपुर महानगर–प्रथम</u>

पीठासीन अधिकारी	:	**रिद्धिमा शर्मा,** (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	:	**277/2020**
एफ.आई.आर. सं.	:	199/2020, पुलिस थाना महेश नगर, जयपुर

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक।

......अभियोजन पक्ष

ब ना म

भैरूलाल मीना उर्फ धोल्या राम मीना पुत्र हेमराज मीना, उम्र 28 वर्ष, निवासी गांव दतुली, थाना बोली, जिला सवाईमाधोपुर।

.......अभियुक्त

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 376(2)(एन) भा.दं.सं.</u>

<u>उपस्थितः</u>–

1–श्री लखन लाल मीणा, विशिष्ट लोक अभियोजक राज. राज्य की ओर से।
2–श्री नवल किशोर उचेनियॉ व श्री दौलतराम मेहरड़ा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

<u>:: निर्णय ::</u> **दिनांक : 21 मार्च, 2024**

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस एल पी (Cri.) नं. 5753/2005 दिनेश उर्फ बुद्धा बनाम राज. राज्य में 28 फरवरी, 2006 को पारित दिशा निर्देशों की पालना में अभियोक्त्री को उसके नाम के स्थान पर ''पीड़िता'' शब्द से सम्बोधित किया जा रहा है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.05.2020 को पीड़िता ने थानाधिकारी, पुलिस थाना महेश नगर, जयपुर के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इन तथ्यों की पेश की कि वह वर्ष 2018 में बी.ए. पास करके बी.एड. करने जयपुर आयी और मुहाना मण्डी में किराए का मकान लेकर रहने लगी, जहॉ उसका पूर्व परिचित भैरूलाल मीणा मो.नं. 9414907300, 9509347996, 9680073870 भी उसके साथ रहने लगा। वे दोनों एक–दूसरे से प्यार करते थे

और प्रेमी–प्रेमिका की तरह रहने लगे। इसके बाद उन्होंने सांगानेर तारों की कूट मकान किराये पर लेकर करीब दो–तीन माह रहे। इस दौरान भैरूलाल उसके साथ अश्लील वीड़ियो बनाकर उसे धमकाने लगा और कहने लगा कि वह अगर किसी दूसरे से शादी करेगी, तो यह अश्लील वीड़ियो वायरल कर देगा। वह चुपचाप उसकी ज्यादतियां सहन करती रही। इसके बाद पीड़िता ने इससे अलग कमरा जनवरी, 2020 में प्लाट नं. डी–50, 80 फीट रोड़, महेश नगर, जयपुर में किराये पर लिया परन्तु भैरूलाल ने यहॉ पर भी दो–तीन बार आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये और उसे शादी का झूठा आश्वासन देता रहा। अब पीड़िता को पता चला है कि भैरूलाल किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। उसकी शादी रुकवायी जाए एवं उसने जो पीड़िता के साथ घिनोना अपराध किया है, उसकी सजा दिलाने की कृपा करें, इत्यादि।

3. उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना महेश नगर, जयपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 199/2020 अंतर्गत धारा 376(2)(एन), 420 भारतीय दंड संहिता में कायम कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा अनुसंधान के पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त भैरूलाल मीणा के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एन), 420 के तहत आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उक्त अपराध बाबत विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने के उपरांत यह प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

4. बहस आरोप सुनने के उपरांत अभियुक्त भैरूलाल मीणा को भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एन) के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाकर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने अपराध करने से इन्कार किया व अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में निम्न गवाह पेश कर परीक्षित करवाये गये :–

पी.डब्ल्यू संख्या	गवाह का नाम व संबंध
पी.डब्ल्यू–1	चिरंजीलाल, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त

पी.डब्ल्यू–2	डॉ. गजेन्द्रपाल, मेडिकल विशेषज्ञ
पी.डब्ल्यू–3	डॉ. हिना चतुर्वेदी, मेडिकल विशेषज्ञ
पी.डब्ल्यू–4	पीड़िता
पी.डब्ल्यू–5	गल्ली बाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल
पी.डब्ल्यू–6	गंगाराम, मालखाना इंचार्ज
पी.डब्ल्यू–7	भीम सिंह, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त, नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू–8	दिनेश बंधू शर्मा, मकान मालिक पीड़िता
पी.डब्ल्यू–9	बालाराम, अनुसंधान अधिकारी

6. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गये :–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	दस्तावेज का विवरण
1.	प्रदर्श पी–1	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
2.	प्रदर्श पी–2	मेडिकल रिपोर्ट अभियुक्त
3.	प्रदर्श पी–3	मेडिकल रिपोर्ट पीड़िता
4.	प्रदर्श पी–4	लिखित रिपोर्ट
5.	प्रदर्श पी–5	चाक एफ.आई.आर.
6.	प्रदर्श पी–6	फर्द नक्शा मौका घटनास्थल
7.	प्रदर्श पी–7	पीड़िता को लिखा गया पत्र
8.	प्रदर्श पी–8	पीड़िता द्वारा थाना एसएचओ को लिखा पत्र
9.	प्रदर्श पी–9	पीड़िता के धारा 164 द.प्र.सं. के बयान
10.	प्रदर्श पी–10	साक्षी सम्मन पीड़िता
11.	प्रदर्श पी–11	आदेशिका न्यायालय
12.	प्रदर्श पी–12ए लगायत पी–14ए	नकल मालखाना रजिस्टर
13.	प्रदर्श पी–15	फर्द नक्शा मौका घटनास्थल
14.	प्रदर्श पी–16	पहचान फार्म पीड़िता

15.	प्रदर्श पी–17	पीड़िता को लिखा पत्र
16.	प्रदर्श पी–18	फर्द इत्तला अभियुक्त
17.	प्रदर्श पी–19	मेडिकल ज्यूरिष्ट को लिखा पत्र

7. अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त के अभिकथन अन्र्तगत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा कथन किया कि वह निर्दोष है। बचाव पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य–सफाई पेश नहीं की गई।

8. दोनो पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

(1) क्या अभियुक्त भैरूलाल मीणा ने वर्ष 2018 की किसी भी तिथि को किसी भी समय तारों की कूट, सांगानेर, जयपुर में स्थित किराये के मकान में पीड़िता के साथ निवासरत रहते हुए करीब दो–तीन माह तक उसकी इच्छा व सहमति के विरुद्ध संभोग कर जबरन बलात्कार किया एवं पीड़िता की अश्लील वीड़ियो क्लिपिंग को सार्वजनिक करने का भय दिखाकर पीड़िता के साथ भिन्न–भिन्न तिथियों पर भिन्न–भिन्न समय व स्थान पर पीड़िता की इच्छा व सहमति के विरुद्ध जबरन निरन्तर व बारम्बार बलात्कार किया ?

––––376(2)(एन) भा.दं.सं.

(2) यदि हॉ तो उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?

9. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने तर्क दिया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

10. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का कथन रहा है कि अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा पीड़िता

को न तो कोई शादी का झांसा दिया गया और न ही उसके साथ जबरन कोई शारीरिक संबंध बनाये। पीड़िता के न्यायालय में हुए बयान, धारा 164 द.प्र.सं. के बयान, पुलिस बयान एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में गम्भीर विरोधाभास है। पीड़िता द्वारा घटना की जानकारी अपने माता–पिता को देना बताया है परन्तु अपने माता–पिता को साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया गया है। कोई अश्लील फोटो या वीड़ियो भी अनुसंधान के दौरान सामने नहीं आए हैं। पीड़िता द्वारा तारों की कूट, सांगानेर व मुहाना मण्डी के घटनास्थल भी नहीं बताए गए हैं। मेडिकल विशेषज्ञ के अनुसार पीड़िता ने मेडिकल मुआयना होने से चार माह पहले बलात्कार होना बताया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से दर्ज करवायी गई है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। स्वयं पीड़िता ने एक–दूसरे से प्यार करना और प्रेमी–प्रेमिका की तरह रहना बताया है। पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा जिस दूसरी लड़की से शादी करना बताया है, ऐसी कोई लड़की का नाम भी सामने नहीं आया है। अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ जबरन कभी कोई बलात्कार नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

11. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

12. प्रकरण की प्रमुख गवाह शिकायतकर्ता पी.डब्ल्यू–4 पीड़िता ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि वह मार्च, 2018 में अपने गॉव से बी.एड़ करने के लिए जयपुर आयी थी। उसने मुहाना मण्डी में किराए से कमरा लिया था। भैरूलाल गांव पोस्ट दंतूली तह. बोली, जिला सवाईमाधोपुर का रहने वाला उसका पूर्व परिचित था। यह उसके साथ उसी मकान में उसके ही कमरे में रहने लग गया। वे एक दूसरे से प्यार करते थे। वर्ष 2019 में पीड़िता ने तारों की कूट, सांगानेर में किराए से कमरा ले लिया था। वहॉ भी भैरूलाल उसके साथ रहने लगा। तारों की कूट वाले किराए के कमरे में भैरूलाल कभी–कभी आता था। भैरूलाल ने उससे कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है और यह कहते हुए पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध लगातार बनाने लग गया था। उक्त दोनों ही किराये के मकान में भैरूलाल

ने उसके साथ शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। मुहाना मण्डी वाले मकान में भैरूलाल ने अपने मोबाइल से उसकी जानकारी के बिना छिपकर उसका अश्लील वीड़ियो बनाया था, जिसकी जानकारी उसे तारों की कूट वालें मकान में लगी। भैरूलाल उसे अश्लील वीड़ियो वायरल करने की धमकी देता था कि अगर उसने किसी और से शादी की, तो इस वीड़ियो को वायरल कर देगा। वह लगातार उसकी यातनाओं को सहन करने लगी। वह उसे कहती थी कि उसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने दे, उसे और परेशान मत करे। फिर उसने जनवरी, 2020 में म.नं. डी–50, 80 फीट रोड़, महेश नगर में किराए से कमरा लिया लेकिन यहां पर भी भैरूलाल कभी–कबार आता था और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और जब वह मना करती, तो वीड़ियो वायरल करने व स्वयं के मरने की धमकी देता था और शादी करने का झूठा आश्वासन देता रहता था। इसके बाद भैरूलाल ने उसके कमरे पर आना बंद कर दिया।

13. पीड़िता ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे कथन किए हैं कि पीड़िता को अप्रेल, 2020 में पता लगा कि भैरूलाल किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है और उसे बाद में यह ज्ञात हुआ कि जब वह उसके साथ शादी का झांसा देकर संबंध बनाता था, तब भी किसी अन्य लड़की से बात करता था। वर्ष 2019 में एक बार वह भैरूलाल के कमरे पर गई तो उसने कमरे पर दो लड़के बिठा रखे थे व भैरूलाल अपने कमरे पर नहीं था। उन दोनों लड़कों ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती करने की कौशिश की, तो वह चीखी–चिल्लाई, उसके 10 मिनट बाद भैरूलाल कमरे पर आया था। भैरूलाल ने उसे शादी का झांसा देकर निरंतर शारीरिक संबंध बनाये। कई बार उसकी इच्छा के विरुद्ध भी शारीरिक संबंध बनाये। उसने पुलिस थाना महेश नगर पर रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 दर्ज करवायी थी। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–5 है। उसने बलात्कार संबंधी मेडिकल करवाने हेतु सहमति दी थी, जो प्रदर्श पी–3 है। उसकी निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 तैयार किया। थानाधिकारी ने उसे वक्त घटना पहने हुए अंतःवस्त्र पेश करने के लिए नोटिस दिया, जिस पर उसने अपने गारमेंट्स कचरे में डाल दिए जाने के कारण पेश करने में असमर्थता जाहिर की। उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रदर्श पी–7 है, जिस पर सी से डी उसका जवाब

है। जिन किराए के मकानों में वह रही और जहॉ उसके साथ भैरूलाल ने संबंध बनाए, वह स्थान भूल चुकी थी, इस कारण नक्शा नहीं बनाया था। उसके द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 है। उसके न्यायालय में धारा 164 द.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी–9 हुए थे। धारा 164 द.प्र.सं. के लिए जारी सम्मन प्रदर्श पी–10 है, आदेशिका प्रदर्श पी–11 है। इन फर्दों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14. प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह ने कहा कि दसवीं कक्षा 2013 में पास की थी, बारहवीं 2015 में पास की। आय प्रमाण–पत्र में भी वह पारिवारिक आय 35,000/–रुपये वार्षिक भरते हैं, क्योंकि पिता खेती करते हैं व दूसरा काम भी करते हैं। गवाह ने बी.एड़ कर रखी है। तब वह मुहाना मण्डी में किराये पर रहती थी। पीड़िता ने स्वीकार किया कि उसने मकान मालिक को उसके साथ एक ही कमरे में भैरूलाल को रहने की सहमति दी थी और उसके बाद मकान मालिक ने भी सहमति दी थी। गवाह और भैरूलाल दो–तीन महीने साथ ही रहे थे। उनका परिचय 2017 के आस–पास हुआ था। मकान मालिक ने उससे कोई किरायानामा नहीं लिखवाया, केवल दोनों की आई.डी. दी थी। दोनों का एक ही बिस्तर था, साथ ही सोते थे। एक साथ ही खाना खाते थे। घूमने नहीं जाते थे, केवल पढ़ाई करते थे। अभियुक्त ने पोलोटेक्निक डिप्लोमा और ग्रेजुएशन कर रखी है। रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 का वह भाग, जिसमें यह लिखा है कि वे दोनों एक–दूसरे से प्यार करते थे और प्रेमी–प्रेमिका की तरह रहने लगे, यह बात सही है। मकान का किराया गवाह ही देती थी। मुहाना मण्डी वाले का 2,000/–रुपये महीना किराया था। लालसोट में 2018 तक पढ़ी थी, वहॉ किसी के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी। गवाह, भैरूलाल, सुनीता और सुनीता का मित्र वैष्णो देवी घूमने गए थे, जिसकी टिकिट सुनीता ने बनवायी थी। रास्ते में गवाह और भैरूलाल मलारना डूंगर और ईटावा बालाजी भी घूमे थे। भैरूलाल ने अश्लील फोटो और वीड़ियो दिखाए थे। वह फोटो उसी के पास थे व उसका मोबाइल रेड़मी कंपनी का था, जिसके नंबर 9414907300 थे। प्रदर्श पी–4 रिपोर्ट में मोबाइल की कंपनी नहीं लिखाई। जो शारीरिक संबंध बने, उसके बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि पर्सनल मैटर था। तारों की कूट, सांगानेर को छोड़ने के बाद महेश नगर में 2020 में रहने गई।

उसके मकान मालिक का नाम दिनेश बंधु था, जिसका किराया 2700 / —रुपये था। बिजली—पानी का खर्चा अलग से था। गवाह ने अपनी और भैरूलाल की बात माता—पिता को तब बतायी, जब उनकी शादी की बात होने वाली थी। उसके साथ शारीरिक संबंध बनने की बात मम्मी—पापा को नहीं बतायी। भैरूलाल गवाह से शादी करना चाहता था। गवाह भी उससे शादी करना चाहती थी। भैरूलाल ने शादी के लिए मना किया था। भैरूलाल किससे शादी करना चाहता था, उसका नाम गवाह को नहीं पता। मीणा समाज में दो विवाह का नियम है या नहीं, उसे नहीं पता। मीणा समाज में रीति—रिवाज और परंपरा से शादी होती है। गवाह का दूसरा नाम मानवी भी है। गवाह और अभियुक्त के बीच सहमति से संबंध बने थे, क्योंकि उसने शादी का कह रखा था। अभियुक्त ने शादी का मना किया, तब गवाह ने उससे शादी की रिक्वेस्ट की लेकिन उसने धमकियां दी, मैसेज किए तब रिपोर्ट दर्ज करवायी। प्रदर्श पी—4 में अभियुक्त द्वारा शादी का मना करने का कोई अंकन नहीं है। प्रदर्श पी—4 में यह भी अंकित नहीं है कि गवाह ने भैरूलाल और उसके माता—पिता से किस—किस दिनांक को शादी के लिए बात की। भैरूलाल सांगानेर और महेश नगर गवाह के साथ नहीं रहा। उसने शादी का कहा था इसलिए गवाह ने शारीरिक संबंध बनाने की सहमति दी थी। पुलिस बयान और धारा 164 द.प्र.सं. के बयान में कहॉ—कहॉ संबंध बने, यह अंकित नहीं है। मुहाना में तीन—चार महीने तक उसके साथ रही। कब से कब तक रही थी, यह ध्यान नहीं है। 2018 में मुहाना आयी थी। नक्शा मौका पर और किसके हस्ताक्षर है, उसे नहीं पता। डी—51 महेश नगर के आस—पास किसके मकान हैं, उसे नहीं पता। भैरूलाल दूसरी शादी करना चाहता था, यह बात उसने व उसकी माता ने बतायी थी। उसने यह भी बताया था कि वह किसी क्लर्क की परीक्षा में पास हुआ है। घटना के समय पहने अंतःवस्त्र उपलब्ध नहीं होने से पुलिस को नहीं दिए। अभियुक्त के कमरे में 2018 में गई थी। उन दो लड़कों से अभियुक्त ने नहीं बचाया था। जिस दिन रिपोर्ट दर्ज करवायी, उसी दिन मेडिकल हुआ था। किसी दूसरे दोस्त के बहकावे में आकर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, न ही लॉक डाउन में उससे 50,000 / —रुपये मांगे।

15. गवाह पी.डब्ल्यू–8 दिनेश बन्धू शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि उसका निजी मकान डी–50, महेश नगर, जयपुर में स्थित है, जिसमें करीब 7–8 कमरे बने हुए हैं। उसने पीड़िता को फरवरी, 2020 में मकान में एक कमरा किराए से दिया था, जो उसके मकान में करीब चार माह तक किराये पर रही थी। उसके बाद गवाह ने अपनी निजी आवश्यकता के लिए पीड़िता से कमरा खाली करवा लिया था। पीड़िता ने पढ़ाई करने के लिए कमरा किराये पर लिया था। यह अकेली रहती थी। उसके मकान पर इससे कोई मिलने–जुलने नहीं आता था।

16. प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह ने कहा कि वह किसी भैरूलाल को नहीं जानता, न ही उसे जानकारी है कि ऐसा कोई व्यक्ति पीड़िता से मिलने आता हो। गवाह उसी परिसर में रहता है। पीड़िता को पाबंद किया था कि उससे मिलने कोई नहीं आयेगा। उसका न किरायानामा लिखा, न आई.डी. ली। केवल उसके पिता मिलने आते थे। जब तक वह रही कोई लड़का उससे दिन या रात में मिलने नहीं आया।

17. गवाह पी.डब्ल्यू–2 डॉ. गजेन्द्रपाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उन्होंने दिनांक 30.05.2020 को एस.एम.एस. अस्पताल में मेडिकल ज्युरिष्ट के पद पर कार्यरत रहते हुए थाना महेश नगर की तहरीर पर मुलजिम भैरूलाल मीणा का पुरूषत्व संबंधी मेडिकल मुआयना उसकी पूर्व सहमति लेकर किया था, जो प्रदर्श पी–2 है, जिस पर भैरूलाल की सहमति का पृष्ठांकन, उसके हस्ताक्षर है। डी.एन.ए. की जांच हेतु एफ.टी.ए. कार्ड पर रक्त का नमूना लेकर एफ.एस.एल. भेजा गया। उनकी राय के अनुसार ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया गया कि भैरूलाल संभोग करने में असक्षम हो। प्रदर्श पी–2 पर गवाह की राय व हस्ताक्षर है। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा कोई जिरह नहीं की गई है।

18. गवाह पी.डब्ल्यू–3 डॉ. हिना चतुर्वेदी ने अपने बयानों में कथन किए हैं कि उन्होंने दिनांक 25.05.2020 को सीनियर स्पे. गायनी महिला चिकित्सालय में पदस्थ रहते हुए एस.एच.ओ. पी.एस. महेश नगर के निवेदन पर पीड़िता का मेडिकल मुआयना उसकी सहमति से किया। मेडिकल रिपोर्ट पदर्श पी–3 है, जिस पर पीड़िता की सहमति, हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी व

पहचान चिन्ह है तथा गवाह के हस्ताक्षर व गवाह की राय है। पीड़िता के कोई चोट नहीं थी, वल्वा स्वस्थ था। पीड़िता ने हिस्ट्री दी थी कि तीन वर्ष से वह सैक्सुअली एक्टिव थी। सैम्पल में खून लिया था। वल्वा वैजाइनल स्वाब या सैम्पल नहीं लिया, क्योंकि लास्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरकोर्स चार माह पहले की थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह ने कहा कि पीड़िता के भैरूलाल से ही संबंध थे, यह वह नहीं बता सकती। पीड़िता के कपड़े जॉच के लिए पेश नहीं हुए। उसके शरीर पर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे।

19. गवाह पी.डब्ल्यू–1 चिरंजी लाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके दिनांक 30.05.2020 को थाना महेश नगर मे ए.एस.आई. के पद पर कार्यरत रहते हुए थानाधिकारी बालाराम ने मुकदमा नंबर 199 / 2020 में मुलजिम भैरूलाल मीणा को उसके समक्ष जरिये फर्द प्रदर्श पी–1 गिरफ्तार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह ने कहा कि उनके अलावा भीम सिंह भी मौजूद थे। क्या मिला, उन्हें याद नहीं है। 2800 / —रुपये नकद, ए.टी.एम. कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस और दो मोबाइल मिले थे। खाली कागज पर हस्ताक्षर नहीं करवाए गए।

20. गवाह पी.डब्ल्यू–5 गल्ली बाई ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि उसके दिनांक 25.05.2020 को पी.एस. महेश नगर में कानि. के पद पर तैनात रहते हुए अनुसंधान अधिकारी बालाराम, सी.आई. ने मुकदमा नंबर 199 / 2020 में घटनास्थल का नक्शा मौका उसके सामने प्रदर्श पी–6 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह ने कहा कि स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। आस–पास में मकान बने थे। मकान मालिक का नाम याद नहीं है। कॉलोनी की सड़क कितनी चौड़ी थी, उसे नहीं पता।

21. गवाह पी.डब्ल्यू–6 गंगाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 25.05.2020 को उनके थाना मेहश नगर में मालखाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत रहते हुए मु.नं. 199 / 2020 का एक लिफाफा सीलशुदा, जिसमें पीड़िता का दुष्कर्म व डी.एन.ए. संबंधी सैम्पल होना अंकित था, जिस पर मालखाना रजिस्टर के मद नं. 669 / 20 पर इन्द्राज कर जमा मालखाना

किया। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–12 है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–12ए है। दिनांक 30.05.2020 को मुलजिम भैरूलाल की जामा तलाशी में एक आधार कार्ड, एक ए.टी.एम. कार्ड तथा उसके पिता का एक डी.एल. व एक आधार कार्ड तथा 2800/–रुपये नकद व दो मोबाइल फोन जमा किए थे, जिनको गवाह ने मालखाना रजिस्टर के मद नं. 671/20 पर इन्द्राज किया। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–13 है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–13ए है। उसी दिन एक लिफाफा सीलशुदा, जिस पर मुलजिम भैरूलाल का पुरुषत्व व डी.एन.ए. संबंधी सैम्पल होना अंकित था, जिसको उसने मालखाना रजिस्टर के मद नं. 673/20 पर इन्द्राज कर जमा मालखाना किया। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–14 है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–14ए है। इन फर्दों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

22. प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह ने कहा कि मालखाना में जमा कराने में समय अंकित नहीं है। मुकदमे की धारा, दिनांक आदि अंकित किए हुए थे। प्रदर्श पी–12 कम्प्यूटर से टाईप है। असल मालखाना रजिस्टर में किसी के हस्ताक्षर नहीं है। मुलजिम के किसी भी कार्ड के नंबर याद नहीं है। कौन–सी कंपनी का मोबाइल था, यह भी ध्यान नहीं है। प्रदर्श पी–13 व पी–14 पर एस.एच.ओ. के हस्ताक्षर नहीं है, समय भी अंकित नहीं है। जामा तलाशी का माल उसने प्राप्त कर लिया।

23. गवाह पी.डब्ल्यू–7 भीम सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके दिनांक 30.05.2020 को कानि. के पद पर थाना महेश नगर पर तैनात रहते हुए मु.नं. 199/20 थाना महेश नगर के आई.ओ. बालाराम ने अभियुक्त भैरूलाल उर्फ धोल्याराम को उसके सामने जरिये फर्द प्रदर्श पी–1 गिरफ्तार किया एवं उसी दिन अभियुक्त की निशादेही से घटनास्थल डी–50, महेश नगर का नक्शा मौका प्रदर्श पी–15 बनाया। इन पर गवाह के हस्ताक्षर है।

24. प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह ने कहा है कि फर्द गिरफ्तारी में स्वतंत्र गवाह नहीं है, क्योंकि थाने पर कोई उस समय उपलब्ध नहीं था। अभियुक्त के पिता को सूचना दी थी। मुलजिम के कपड़ों का रंग याद नहीं है। प्रदर्श पी–15 महेश नगर का है। आस–पड़ौस के हस्ताक्षर नहीं है, क्योंकि उन्होंने

मना कर दिया था। आस–पास के घर किसके हैं, यह ध्यान नहीं। सामने रामलाल सैनी का मकान था। घटनास्थल का मकान किसका है, इसका अंकन नहीं, किसी शर्मा जी का था। 15–20 मिनट में कार्यवाही हो गई थी। सरकारी गाड़ी से गए थे। डी–50, के मकान में दो कमरे, एक बाथरूम था। मुलजिम ने पीछे वाले कमरे में रहना बताया था। कमरा 5 बाई 7 फीट का था।

25. गवाह पी.डब्ल्यू–9 बालाराम अनुसंधान अधिकारी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि उनके दिनांक 25.05.2020 को पुलिस थाना महेश नगर में थानाधिकारी के पद पर तैनात रहते हुए एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 उनके समक्ष पेश होने पर कार्यवाही पुलिस का अंकन कर उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 199/2020 अन्तर्गत धारा 376(2)(एन), 420 भा.द. सं. में दर्ज किया। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–5 है। अनुसंधान गवाह द्वारा प्रारम्भ किया गया। पीड़िता का बलात्कार संबंधित मेडिकल मुआयना करवाया, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 है। डॉक्टर के द्वारा पीड़िता का डी.एन.ए. परीक्षण हेतु आइडेन्टिफिकेशन फॉर्म प्रदर्श पी–16 भरा गया था। पीड़िता के धारा 161 द.प्र.सं. के बयान महिला पुलिस अधिकारी अनिता से लिवाये गए। गवाह दिनेश बन्धू के बयान धारा 161 द.प्र.सं. गवाह द्वारा लिये। पीड़िता की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 तैयार किया, जिसकी पुस्त पर हालात मौका दर्ज है। पीड़िता को धारा 91 द.प्र.सं. का नोटिस वरवक्त पहने हुये कपड़े पेश करने बाबत प्रदर्श पी–17 दिया। पीड़िता ने इस नोटिस में अपने जवाब में बताया कि उसने वरवक्त घटना पहने हुये कपड़े अण्डरगार्मेन्ट्स 15 दिन पुरानी होने के कारण कचरे में डाल दिये थे, जो नहीं मिले। नोटिस का जवाब प्रदर्श पी–7 है, जिस पर पीड़िता के हस्ताक्षर, सी से डी उसका जवाब, ई से एफ गवाह के हस्ताक्षर है। पीड़िता ने दौराने अनुसंधान एक प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–8 इस आशय का पेश किया कि मुलजिम द्वारा उसके साथ मुहाना गांव व तारों की कूट टोंक रोड़, सांगानेर पर किराये के मकान पर जबरदस्ती शादी का झांसा देकर संबंध बनाये थे, वह जगह वह भूल चुकी है इसलिए बता नहीं सकती। उक्त रिपोर्ट पर पीड़िता व गवाह के हस्ताक्षर है। गवाह द्वारा पीड़िता के धारा 164 द.प्र.सं. में बयान प्रदर्श पी–9 करवाये गये। न्यायालय

का सम्मन प्रदर्श पी–10, न्यायालय की आदेशिका प्रदर्श पी–11 है। अभियुक्त भैरूलाल उर्फ धोलिया राम के विरूद्ध जुर्म गिरफ्तारी गुजरने पर अन्तर्गत धारा 376(2)(एन), 420 भा.द.सं. में जरिये फर्द प्रदर्श पी–1 गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा मुलजिम भैरूलाल मीना उर्फ धोलियाराम ने दौराने अनुसंधान स्वैच्छा से इत्तला दी कि उसने जिस जगह पर पीड़िता के साथ संभोग किया, उस कमरे को चलकर बता सकता है, को अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत फर्द प्रदर्श पी–18 तैयार की गई। इत्तला अनुसार तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–15 तैयार किया। हालात तस्दीक घटनास्थल की पुस्त पर हालात मौका दर्ज है। मुलजिम का पुरूषत्व संबंधी मेडिकल मुआयना करवाया, जिसकी रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। अभियुक्त का मेडिकल करवाने बाबत मेडिकल ज्यूरिस्ट को तहरीर प्रदर्श पी–19 दी थी। पीड़िता व मुलजिम से मेडिकल ज्यूरिस्ट के द्वारा लिये गये सैम्पल्स का मिलान हेतु एफ.एस.एल. जयपुर को पत्र लिखा, जिस पर एफ.एस.एल. द्वारा आक्षेप लगाने पर आक्षेप की पूर्ति हेतु मेडिकल ज्यूरिस्ट, एस.एम.एस. जयपुर को पत्र प्रदर्श पी–20 लिखा, जिसका मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा जवाब का अंकन व मेडिकल ज्यूरिस्ट के हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां शामिल पत्रावली की। समस्त अनुसंधान से मुलजिम भैरूलाल उर्फ धोलिया मीना के जुर्म धारा 376(2)(एन), 420 भा.द. सं. प्रमाणित पाये जाने पर उक्त धाराओं में चार्जशीट कता कर आरोप–पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया।

26. प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह ने कहा कि दौराने अनुसंधान तारों की कूट सांगानेर टोंक रोड में पीड़िता द्वारा वह जगह नहीं बतायी गई, जहॉ घटना हुई। पीड़िता के माता–पिता के बयान नहीं लिए, न रिश्तेदारों के बयान लिए। महेश नगर एफ.आई.आर. के दिन ही गए थे। किसी स्वतंत्र गवाह के बयान लेने का प्रयास किया था परन्तु किसी ने सहयोग नहीं किया। पीड़िता ग्रेजुएट है। किरायानामा के कोई दस्तावेज नहीं लिए। डी–50 में कितने किरायेदार रहते थे, उनके बयान नहीं लिए। डी–50 महेश नगर के आस–पास के सी.सी.टी.वी. कैमरों का निरीक्षण नहीं किया। दोनों की कोई फोन लोकेशन भी नहीं ली। अनुसंधान में आया था कि दोनों साथ में रह रहे थे। पीड़िता के अनुसार तारों की कूट और मुहाना मण्डी में शादी

का झांसा देकर रहने का तथ्य अनुसंधान में आया था। कोई अश्लील वीड़ियो सामने नहीं आया। ऐसा कोई गवाह भी सामने नहीं आया, जब पीड़िता घटना के समय चीखी–चिल्लाई हो। यह भी संभव है कि भैरूलाल कहीं और शादी कर रहा हो, जिसे रुकवाने के लिए मुकदमा किया हो। जिन दो लड़कों का अभियुक्त के कमरे में रहने का हवाला दिया गया, अनुसंधान में कोई पहचान नहीं हुई। पीड़िता और मुलजिम का जयपुर में रहने से पूर्व का कोई प्रेम प्रसंग हो, तो वह नहीं बता सकता। पीड़िता को नोटिस देने के बाद भी उसने कोई गवाह नहीं करवाए। उसने अपने माता–पिता को भी नहीं बताया था। पीड़िता ने अंतिम बार उसके साथ जो घटना कारित हुई, उसकी कोई तारीख नहीं बतायी। दोनों एक ही गॉव के रहने वाले हो, तो गवाह को याद नहीं है।

27. सर्वप्रथम तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 का अवलोकन करने से यह प्रकट हुआ कि प्रदर्श पी–4 तहरीरी रिपोर्ट में पीड़िता ने एक स्थान पर यह लिखा है कि वह और अभियुक्त एक–दूसरे से प्यार करते थे और प्रेमी–प्रेमिका की तरह रहते थे और इस बात को उसने अपने न्यायालय में हुए सशपथ कथनों में भी स्वीकार किया है।

28. एक तथ्य यह भी आया है कि पीड़िता जयपुर में अलग–अलग स्थान पर रहना बताती है, जबकि पहले ही स्थान पर मुहाना मण्डी में ही अभियुक्त उसके साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार करता था, ऐसा उसने कहा है, जिसके बाद वह तारों की कूट, सांगानेर और उसके बाद महेश नगर में रहने लगी। यदि पीड़िता द्वारा अभियुक्त से परेशान होकर मकान बदले गए, तो अभियुक्त को उसके मकान या नये पते की जानकारी कैसे हुई या पीड़िता ने यह जानकारी उसे क्यों दी, इसका कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। पीड़िता के मुख्य परीक्षण में यह तथ्य आया है कि एक बार अभियुक्त के कमरे पर दो लड़कों ने भी उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया था परन्तु उसके धारा 164 द.प्र.सं. के बयान और तहरीरी रिपोर्ट में इस तथ्य का कोई हवाला नहीं है।

29. पीड़िता द्वारा किसी भी घटना की कोई विशिष्ट तारीख या समय आदि भी नहीं बताया गया है। पीड़िता ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है

कि मकान मालिक ने एक ही कमरे में अभियुक्त को भी उसके सहमति देने के बाद रहने की सहमति दी थी। ऐसे में लगातार अभियुक्त के साथ अलग–अलग स्थान पर रहने का जो तथ्य सामने आया है, उसमें पीड़िता की सहमति होना एंव दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होने की बात भी सामने आयी है।

30. पीड़िता ने यह कथन किया कि अभियुक्त ने उसे उसकी अश्लील फोटो और वीड़ियो दिखायी थी, यह बात उसने अपने प्रतिपरीक्षण में बतायी है, जबकि मुख्य परीक्षण, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 या अपने धारा 164 द. प्र.सं. के बयान में उसने किसी अश्लील वीड़ियो, फोटो का उल्लेख नहीं किया है, न ही अनुसंधान में ऐसे कोई फोटो, वीड़ियो सामने आए हैं।

31. पीड़िता अभियुक्त के साथ न केवल रहती थी बल्कि उसके साथ घूमने–फिरने शहर के बाहर भी जाती थी, जिन सभी स्थानों का उसने नाम भी स्वीकार किया है। पीड़िता ने यह बताया कि उसने अपने और भैरूलाल के बारे में अपने माता–पिता को बताया था, जब उनकी शादी की बात होने वाली थी। अभियुक्त पीड़िता से शादी भी करना चाहता था। भैरूलाल की माता द्वारा पीड़िता को यह बताया गया था कि वह दूसरी शादी करना चाहता है। वह किस लड़की से शादी करना चाहता था, गवाह को नहीं पता। जब पीड़िता ने उससे शादी करने का आग्रह किया, तो उसने धमकियां दी, मैसेज किए, तब रिपोर्ट दर्ज करवायी। जबकि पीड़िता की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 का गहनता से अवलोकन करें, तो उसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि पीड़िता को यह पता चला है कि भैरूलाल किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है और उसकी शादी रुकवायी जाए। इसका यह स्पष्ट अर्थ निकाला जा सकता है कि पीड़िता द्वारा अभियुक्त की दूसरी लड़की से शादी की जानकारी होने के कारण यह रिपोर्ट दर्ज करवायी गई है परन्तु अनुसंधान में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि अभियुक्त किसी और से शादी कर रहा हो या करने वाला हो।

32. पीड़िता ने तारों की कूट, सांगानेर और मुहाना मण्डी का कोई स्थान अनुसंधान अधिकारी को नहीं बताया। पीड़िता के अनुसार उसके माता–पिता

को उनके बारे में जानकारी थी और उन्होंने भी अभियुक्त को शादी के लिए कहा था परन्तु माता–पिता के बयान नहीं करवाए गए। अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि उसके माता–पिता को घटना के बारे में पता ही नहीं था। पीड़िता के माता–पिता ने अभियुक्त से बात की हो या पीड़िता ने अभियुक्त की माता से बात की हो, यह तथ्य पीड़िता के धारा 164, 161 द.प्र.सं. के बयान, मुख्य परीक्षण या तहरीरी रिपोर्ट में कहीं भी अंकित नहीं है। मकान मालिक की माने तो उन्होंने कभी भी अभियुक्त को वहॉ आते–जाते नहीं देखा। जबकि पीड़िता के पिता वहॉ जरूर आते थे। मेडिकल विशेषज्ञों की राय भी माने, तो पीड़िता के साथ उसका मेडिकल मुआयना होने से चार माह पहले बलात्कार होने का तथ्य उसने बताया है। देरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने का भी कोई कारण सामने नहीं आया है। पीड़िता ने यह भी नहीं बताया कि उसे यह कब ज्ञात हुआ कि अभियुक्त किसी और से शादी करना चाहता है। अभियुक्त की दूसरी लड़की से शादी का तथ्य भी अनुसंधान में सामने नहीं आने से प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

33. ऐसे में जिस प्रकार की आवेश में लिखी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट सामने आयी है और केवल पीड़िता के बयान ही न्यायालय में हुए हैं, उससे समस्त घटनाक्रम, जैसा पीड़िता द्वारा बताया गया है, वह संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है। यद्यपि यदि पीड़िता की साक्ष्य अखण्डनीय होती या बिना किसी विरोधाभास के होती, तब यह अवश्य अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित माने जाने का एकमात्र कारण हो सकता था परन्तु पीड़िता के विरोधाभासी कथन, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट व उसके धारा 164 द.प्र.सं. के बयान से मेल नहीं खाते और दो अन्य घटनास्थलों पर जॉच ही न करवाना, अपने माता–पिता का परीक्षण ही न करवाना, यह सभी तथ्य इसी ओर इंगित करते हैं कि अभियुक्त के द्वारा पीड़िता के साथ जबरन गलत काम नहीं किया गया।

34. ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376(2)(एन) भा.द.सं. का आरोप सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 376(2)(एन) भा.द.सं. के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

:: **<u>आदेश</u>** ::

35. परिणामतः अभियुक्त भैरूलाल मीना उर्फ धोल्या राम मीना पुत्र हेमराज मीना, उम्र 28 वर्ष, निवासी गांव दतुली, थाना बोली, जिला सवाईमाधोपुर को आरोपित अपराध अर्न्तगत धारा 376(2)(एन) भा.द.सं. के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

36. अभियुक्त की ओर से दं.प्र.सं. की धारा 437ए के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत–मुचलके नियमानुसार अपील की अवधि तक प्रभावी रहेंगे। अभियुक्त की उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किये जावें।

37. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पीड़ित पक्ष को धारा 357ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिकर दिलाये जाने हेतु अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रतिकर बाबत अनुशंसा नहीं की जाती है।

(रिद्धिमा शर्मा)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
महिला उत्पीड़न प्रकरण,
जयपुर महानगर–प्रथम

38. निर्णय आज दिनांक 21 मार्च, 2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिद्धिमा शर्मा)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
महिला उत्पीड़न प्रकरण,
जयपुर महानगर–प्रथम